26

R. 5365-दो/16

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप रीवा (म0प्र0)

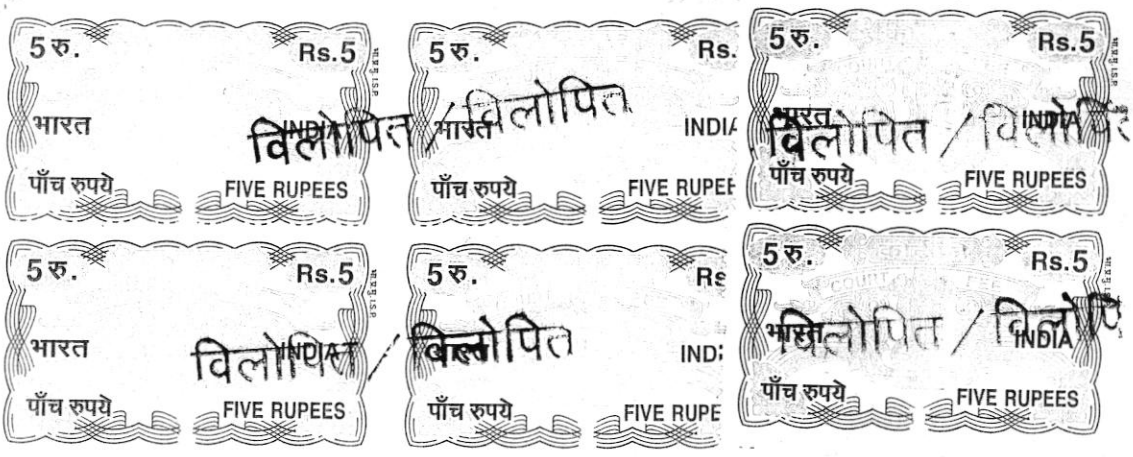

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित / विलोपित

आवेदकगण की ओर से श्री सुरेश पाठक एड. द्वारा पेश। 9-8-16

1. भवन कुमार जैन पिता स्व0 मोहनलाल जैन उम्र – 55 वर्ष,
2. अभय कुमार जैन पिता स्व0 मोहनलाल जैन उम्र – 69 वर्ष,
3. अरुण कुमार जैन पिता स्व0 मोहनलाल जैन उम्र – 64 वर्ष,
4. अशोक कुमार जैन पिता स्व0 मोहनलाल जैन उम्र – 49 वर्ष,
5. श्रीमती विजया कुमारी जैन बेवा स्व0 राजेन्द्र कुमार जैन उम्र – 69 वर्ष,
6. जितेंद्र कुमार जैन पिता स्व0 राजेन्द्र कुमार जैन उम्र – 44 वर्ष,
7. निर्भय कुमार जैन पिता स्व0 मोहनलाल जैन उम्र – 67 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम ब्यौहारी थाना तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)

-----------------------------पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. रामराज सिंह पिता चन्द्रभान सिंह उम्र – 85 वर्ष निवासी ग्राम ब्यौहारी न्यूबरौंधा तिराहा थाना तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन जरिये जिलाध्यक्ष शहडोल (म0प्र0)
3. राजस्व निरीक्षक बृत्त ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0) ------

----------------------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त

ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)

के रा0 क्र0 –75 अ–12/2015–16 आदेश दिनांक – 20/05/2016 संलग्न सीमांकन सूचना पंचनामा, फील्ड बुक, नक्सा प्लाट आराजी ग्राम ब्यौहारी बावत सीमांकन।

अपील/पुनरी0 धारा –50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

प्रस्तुत प्रकरण पुनरीक्षण का सारांस यह है कि ग्राम ब्यौहारी स्थित आराजी खसरा नम्बर 193/1क रकवा 9.96 ए. आवेदकगण/पुनरी0 कर्तागण के पट्टे, कब्जे दखल हक मालिकाना की आराजी हैं। जिसका व्यवहारवाद वादी/आवेदकगण ने व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 ब्यौहारी के न्यायालय में व्यवहारवाद क्रमांक 43 ए/2011 दायर किया था । जिसमें वादीगण को भूमि स्वामी स्वत्व घोषित किया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 रामराज द्वारा अतिक्रमित भू – भाग से वेदखल करने का आदेश दिया गया हैं। जिस वेदखली से बचने के लिए अना०गण ने आवेदकगण के भूमि को यह कहते हुए कि उसने आवेदक/पुनरीक्षण कर्ता गण से संलग्न भूमि खसरा नम्बर 209 में अपना मकान बनाया हैं। जिसका सीमांकन कराना बताते हुए आवेदकगण को बिना सूचना दिये राजस्व निरीक्षक को अपने प्रभाव में लेकर आवेदकगण की भूमि में निर्माण कार्य करते हुए अपने पक्ष में सीमांकन करा लिया हैं। उक्त सीमांकित भू भाग खसरा क्रमांक 209 अनावेदक के भूमि में न हो कर आवेदकगण के भूमि खसरा क्रमांक 193 का अंश भाग हैं। जबकि अनावेदक रामराज सिंह के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील पंजीबद्ध कराया गया है। जिसमें आवेदकगण/पुन0 उपस्थित हो रहे हैं। प्रकरण के विचाराधीन कराया गया सीमांकन अवैध व प्रभावहीन हैं। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण पुनरी0 को यह निगरानी/पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

जिसके आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यहकि राजस्व निरीक्षक का आदेश व फैसला खिलाफ कानून वाक्यातन मौजूदा पत्रा वली के हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5365/दो/16 जिला-शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल प्रकरण क्रमांक 75अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-05-16 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक रामराज सिंह द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा न. 209 रकबा 0.114 हे0 के सीमाकंन हेतु धारा 129 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20/05/16 को सीमांकन किया गया। सीमाकंन की सूचना सरहद्दी कास्तकारों को दी गई उसके पश्चात ही सीमांकन किया गया है एवं पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया था, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई, आपत्ति न आने के कारण जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखने योग्य है। आवेदक यदि सीमाकंन से पीडित है	

तो वह अपना सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20/05/16 द्वारा किया गया सीमांकन उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल प्रकरण क्रमांक 75अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-05-16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य